Supdt. SKMC & All HODs 16/3/18

पत्रांक–2/एम–15/2018– 328(2)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

Sri Krishan Medical College,Muz.
Letter No:- 843/18
Date:- 16-03-18
Receiver Sign

प्रेषक,

जगदीश कुमार
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्राचार्य/अधीक्षक,
सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार,
सभी सिविल सर्जन, बिहार ।

पटना, दिनांक 14/03/2018

विषय : **चिकित्सकों को माननीय न्यायालयों में गवाही हेतु ससमय उपस्थिति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में ।**

प्रसंग : **अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वितीय बाढ़, फास्ट ट्रेक कोर्ट–1 नालन्दा बिहार शरीफ का पत्रांक–53 दिनांक–6.2.18, पुलिस अधीक्षक, लखीसराय का पत्रांक–84 दिनांक–19.2.18 एवं पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेशण ब्यूरो का पत्रांक–865 दिनांक–1.2.2018**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि माननीय न्यायालयों में दायर वादों में चिकित्सकों ससमय गवादी हेतु उपस्थित नहीं हो रहे है। इसके कारण चिकित्सकों को माननीय न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सम्मन विभाग को प्राप्त हो रहा है जो कि खेदजनक है । चिकित्सकों को गवाही के अभाव में कई मामला वर्षों से न्यायालय में लम्बित चल रहा है।

अतः निदेश दिया जाता है कि अपने सर्जेसी के अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकों को माननीय न्यायालय में गवाही हेतु ससमय उपस्थिति सुनिश्चित की जाय। इस कार्य हेतु माननीय न्यायालय से सम्नवय स्थापित किया जाय एवं सभी संबंधित चिकित्सकों को गवाही संबंधी पूर्व सूचना देने की भी व्यवस्था अपने स्तर से की जाय।

अगर चिकित्सकों की गवही के अभाव में मामलों के लम्बित रहने के कारण विभाग को खेदजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है तो इसकी समस्त जवाबदेही संबंधित नियंत्री पदाधिकारी की होगी ।

विश्वासभाजन,

15/3/18
(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D>Sec-2 2017 Later (M) 2018